

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.


...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Additional Affidavit on Behalf of Respondent No. 1	1 - 6
2.	Annexure 1 – Copy of the letter bearing number 202/District Ganga Committee (2025-26) dated 17.04.2026	7
3.	Annexure 2(Colly.) - Copy of the Letter bearing number -1143/SPA/SDM/Narendranagar dated- 22.04.2026 and Letter No.- 1167/SPA SDM / 2026 dated 18.05.2026	8 - 9
4.	Annexure 3 - Copy of the inspection report.	10 - 11
5.	Annexure 4 - Copy of the letter bearing Number - 870/CKN/Application No.-211/2024 dated- 16.05.2026.	12
6.	Annexure 5 - Copy of the tender floated by the Jal Vigyan Khand, Haridwar	13

7.	Annexure 6 - Copy of the Letter No. UKPCB/ROD/NGT-107/2026-27/592-320 dated 08.05.2026	14
8.	Annexure 7 - Copy of the letter bearing Letter No. 216/NGT/2026-27 dated 14.05.2026	15

THROUGH COUNSEL



PLACE: DELHI

DATE: 25.05.2026

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal

...Applicant

Versus


State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1

Most Respectfully Showeth:

I, Kalyani (Female), aged about 48 years, D/o Shri Devraj Singh, presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun



(Deponent)


I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Environment Conservation and Climate Change, State of Uttarakhand

[Handwritten Signature]

i.e. Respondent No. 1 in the present matter as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That the present Additional Affidavit is being filed pursuant to the Hon'ble Tribunal's order dated 20.03.2026 to file additional information.
3. In compliance with the order passed on 20.03.2026 in the above captioned matter, a letter was sent by District Magistrate, Tehri Garhwal on 17.04.2025 to the Sub-District Magistrate, Narendra Nagar, Superintending Engineer, Irrigation Division II, Narendra Nagar, Executive Engineer, Jal Sansthan, Ganga Unit, Rishikesh and Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for taking necessary action. Copy of the letter bearing number 202/District Ganga Committee (2025-26) dated 17.04.2026 is annexed as **Annexure -1**.
4. For the purpose of carrying out a joint on-site investigation in the matter in question, a letter was sent by the Sub-District Magistrate, Narendranagar on 22.04.2026 to the Superintending Engineer, Irrigation Division II, Narendranagar, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Executive Engineer, Jal Sansthan, Ganga Unit, Rishikesh, Tehsildar, Narendranagar, Survey Naib Tehsildar, Narendranagar and Executive Officer, Nagar Panchayat



Handwritten signature

Tapovan. In the said matter, on-site inspection of the concerned place was done by the said officer and other nominated representatives on 02.05.2026. The said information was shared by the Ld. SDM, Narendranagar vide its letter dated 18.05.2026 to the Ld. District Magistrate, Tehri District. Copy of the Letter bearing number - 1143/SPA/SDM/Narendranagar dated-22.04.2026 and Letter No.- 1167/SPA SDM / 2026 dated 18.05.2026 is annexed as **Annexure-2(Colly.)**.

5. As per the inspection report, regarding the origin, confluence, and length and width of the Nala (local name of natural drain), it is to be noted that the origin of the Nala (local name of natural drain) in question is within the reserved forest area at the intersection of the boundary of Mauja Barkot. The confluence of the Nala (local name of natural drain) is the Ganga River. The Nala (local name of natural drain) is approximately 4 km long and its width varies from place to place. The average width of the Nala (local name of natural drain) is approximately 7 to 8 meters. Copy of the inspection report is annexed as **Annexure - 3**.


6. Regarding demarcation of flood zone with 100 year flood interval and 1 meter contour as per River Ganga (Rejuvenation, Rejuvenation, Conservation and Management) Authority Order, 2016, and marking it on the revenue map, it is to be informed that, after on-site inspection of



Handwritten signature

the said Nala (local name of natural drain) on 02.05.2026 by the officials of Irrigation Division II Narendra Nagar and Hydrology Division Bahadrabad, Haridwar, the possible starting point coordinate- 30°9'23.91"N 78°19'1.44"E and end point coordinate- 30°7'48.36"N 78°19'46.09"E have been provided as per revenue map and Google Earth for the work related to Flood Plain Zoning. On 15.05.2026, Jal Vigyan Khand, Haridwar has invited tender in anticipation of allocation of funds for the work of Consultancy work for Flood Plain Zoning of natural Nala (local name of natural drain)/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (Tehri Garhwal), the date of opening of which has been fixed as 04.06.2026. Information/report regarding the part of the construction work of the above buildings being within the flood zone can be informed after the completion of the work related to the Flood Plain Zone of the natural Nala (local name of natural drain). The said information has been informed by the Irrigation Department, Narendra Nagar to the Ld. SDM, Narendra nagar vide its letter bearing Number - 870/CKN/Application No.-211/2024 dated-16.05.2026. Copy of the letter bearing Number -870/CKN/Application No.-211/2024 dated-16.05.2026 is annexed **Annexure – 4**. Copy of the tender floated by the Jal Vigyan Khand, Haridwar is annexed as **Annexure - 5**.

7. Regarding the status of encroachment and the action taken to remove the encroachment, it is to be informed that at the place in question.




encroachment has been done by constructing multi-storeyed buildings on the left side of the said Nala (local name of natural drain) by a total of 04 persons, against whom challan report has been sent to the court of prescribed authority Narendranagar under section 4 of the SGV Act 1972. Presently, eviction suit against the said persons is pending. The said information is also part of the join-inspection report which was created after joint on-site inspection was conducted on 02.05.2026.

8. As per the inspection report, regarding the action taken to prevent the discharge of untreated sewage/industrial waste into the Nala (local name of natural drain) in question, it is to be informed that no industrial unit is established/operated in the catchment area of the Nala (local name of natural drain) in question. Due to the sewer line being established in the said area, there is no need to construct a separate STP for the establishments established at the said place. The owners of the multi-storey buildings established at the said place have got themselves connected to the sewer line. The said sewer line is connected to the 3.5 MLD STP Tapovan, and no sewer has been found flowing into any Nala (local name of natural drain)/stream flowing in the said area. The said information has been stated by Uttarakhand Pollution Control Board vide its Letter No. UKPCB/ROD/NGT-107/2026-27/592-320 dated 08.05.2026 and by Uttarakhand Jal Sansthan vide its Letter No. 216/NGT/2026-27 dated 14.05.2026. Copy of the Letter No.




Handwritten signature

UKPCB/ROD/NGT-107/2026-27/592-320 dated 08.05.2026 is annexed as **Annexure - 6**. Copy of the letter bearing Letter No. 216/NGT/2026-27 dated 14.05.2026 is annexed as **Annexure - 7**.

9. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

10. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Dehradun, Uttarakhand on 25 day of May 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Identified by

[Signature]
Hitesh Chhetri
Computer operator

ISR. No. 398
Date. 25-05-2026

[Signature]
DEPONENT

This affidavit is sworn before me by
s/nr Kalyani
who is identified by S/nr. Hitesh Chhetri (C.O)
at Dehradun on 25/05/2026
[Signature]
Virender Singh
Advocate & Notary Dehradun

शीर्ष प्राथमिकता

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या-202 / जिला गंगा समिति (2025-26) नई टिहरी, दिनांक- 11, अप्रैल, 2026

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्र नगर। | 2. अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड द्वितीय,
नरेन्द्र नगर। |
| 3. अधीशासी अभियन्ता,
जल संस्थान, गंगा इकाई,
ऋषिकेश। | 4. क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून। |


विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या- 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20.03.2026 को पारित ओदश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या - 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20.03.2026 को पारित ओदश के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के स्थान ऋषिकेश, तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में दर्ज शिकायत के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रतिउत्तर दायर करने हेतु आदेशित किया है-

1. नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई।
2. गंगा नदी(पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाद अंतराल एवं 1 मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा इसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना।
3. क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।
4. यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए की गयी कार्यवाही।
5. नाले में बिना उपचारित सीवेज/ औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है, कि मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

o/c



(नितिका खण्डेलवाल)

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी-गढ़वाल।

Office Email- sdmnagar@gmail.com

संख्या / 1143 / एस0पी0ए0-एस0डी0एम0 / नरेन्द्रनगर

दिनांक 22, अप्रैल, 2026

01-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

02-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

03-अधिशारी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश।

04-तहसीलदार, नरेन्द्रनगर।

05-सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर

06-अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला पत्र संख्या-202/गंगा समिति (2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लेख किया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं :-

- 01- नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई।
- 02- गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ़ अंतराल एवं एक मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा उसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना।
- 03- क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।
- 04- यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे हटाने के लिये की गयी कार्यवाही।
- 05- नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही।

अतः प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे की तिथि नियत की जाती है, तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नियत तिथि एवं समय को संयुक्त निरीक्षण हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहने का कष्ट करें, तथा संयुक्त जांच रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

संलग्न-यथोपरि।

(आशीष चन्द्र धिल्लियाल) 22/4/26
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/1167/एस0पी0ए0/एस0डी0एम0/2026

दिनांक 18 मई, 2026

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या-202/गंगा समिति (2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में गठित समिति द्वारा दिनांक दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं :-

प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच इस कार्यालय के पत्र संख्या-1143/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के द्वारा 01-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, 02-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, 03-अधिकासी अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश, 04-तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, 05-सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर 06-अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन को पत्र प्रेषित किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे की तिथि नियत की गई।

नियत तिथि पर प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त निरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारी तथा नामित प्रतिनिधि उपस्थित हुये। समिति से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदया की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
(आशीष चन्द्र घिड़ियाल)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-202/गंगा समिति (2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राणिकरण नई दिल्ली द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान, ऋषिकेश तपोवन, डैक्कन वैली में बहुमंजिला अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तथा प्राकृतिक नाले/धारा पर अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न अवरोध के संबंध में गठित समिति द्वारा दिनांक दर्ज शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक विवरण सहित प्रति उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है :-

- 01- नाले का उद्गम, उसका संगम तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई।
- 02- गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुसार 100 वर्ष के बाढ़ अंतराल एवं एक मीटर कंटूर के साथ बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, तथा उसे राजस्व मानचित्र पर अंकित करना।
- 03- क्या किसी निर्माण का कोई भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर आता है।
- 04- यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे हटाने के लिये की गयी कार्यवाही।
- 05- नाले पर बिना उपचारित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम के लिये की गयी कार्यवाही।

प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त जांच इस कार्यालय के पत्र संख्या-1143/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के द्वारा 01-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, 02-क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, 03-अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, गंगा ईकाई, ऋषिकेश, 04-तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, 05-सर्वे नायब तहसीलदार, नरेन्द्रनगर 06-अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन को पत्र प्रेषित किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 02.05.2026 (शनिवार) को समय प्रातः 10.00 बजे की तिथि नियत की गई।

नियत तिथि पर प्रश्नगत संयुक्त निरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारी तथा नामित प्रतिनिधि उपस्थित हुये। प्रश्नगत संयुक्त निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:-

बिन्दु संख्या-01 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत नाले का उद्गम स्थान मौजा बड़कोट की सीमा के मिलान पर आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत है। उक्त नाले का संगम गंगा नदी है। उक्त नाले की लम्बाई लगभग 04 किमी0 है, तथा चौड़ाई अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। उक्त नाले की औसत चौड़ाई लगभग 07 से 08 मीटर के करीब है।

बिन्दु संख्या-02 एवं 03 के क्रम में अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा अपने पत्रांक संख्या-870/सि0ख0न0न0/ आवेदन संख्या-211/2024 दिनांक 16.05.2026 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्राकृतिक नाले के राजस्व मानचित्र को संलग्न कर जल विज्ञान खण्ड वहादराबाद को प्रेषित किये गये है, जिसके उपरान्त संबंधित विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-177/ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड0/एन0जी0टी0-211/2024 दिनांक 16.05.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को कराये जाने हेतु धनावंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है, जिसके खुलने की तिथि 04.06.2026 निर्धारित की गयी है।


निर्माण का भाग बाढ़ क्षेत्र के भीतर है, उक्त के संबंध में सूचना/आख्या प्राकृतिक नाले के Flood Plain Zone से संबंधित कार्य होने के उपरान्त ही अवगत कराया जा सकता है।


बिन्दु संख्या-04 के कम में उल्लेख करना है कि प्रश्नगत स्थान पर उक्त नाले के बाईं ओर कुल 04 व्यक्तियों द्वारा बहुमंजिला भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध सा0भू0ग्रा0वि0 अधिनियम 1972 की धारा-04 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट विहित प्राधिकारी नरेन्द्रनगर के न्यायालय में प्रेषित की गयी है। वर्तमान में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली वाद न्यायालय में गतिमान है।

बिन्दु संख्या-05 के कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-यूकेपीसीवी/आरओडी/एन0जी0टी0-107/2026-27/592-320 दिनांक 08.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि संदर्भित नाले के कैवमेंट में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन स्थापित होने के कारण उक्त स्थान पर स्थापित स्थापनाओं को पृथक से एस0टी0पी0 निर्माण की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान जल संस्थान के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर स्थापित बहुमंजिला इमारतों के स्वामियों द्वारा सीवर लाईन से संयोजन करा लिया गया है।


अधिशाली अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-216/एन0जी0टी0/2026-27 दिनांक 14.05.2026 में उल्लेख किया गया है कि शाखा में कार्यरत श्री अशोक सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। शाखा से संबंधित बिन्दु संख्या-05 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डैक्कन वैली परिसर एवं निकटवर्ती क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन बिछी हुई है, जो कि 3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से जुड़ी हुई है, तथा उक्त क्षेत्र में प्रवाहित कोई नाला/धारा में सीवर प्रवाहित होता हुआ नहीं पाया गया है।


अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।



सर्वे लेखपाल,
तपोवन।



ग्रहणीलदार,
नरेन्द्रनगर।


क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।


राजस्व निरीक्षक,
नरेन्द्रनगर।


सहायक अभियन्ता,
सिंचाई, खण्ड नरेन्द्रनगर


सर्वे कानूगी,
नरेन्द्रनगर


अधिशाली अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
(गंगा) इकाई, ऋषिकेश।


pm.


अधिशारी अभियन्ता
जल विज्ञान खण्ड
बहादुराबाद

प्रेषित

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नरेन्द्र नगर।

पत्रांक:- 177 / ज0वि0ख0 / एफ0पी0जेड / एन0जी0टी-211 / 2024 दिनांक 16/05/2024
विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0- 211 / 2024 Sanjay
Agarwal versus State of Uttrakhand & Ors. पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के सम्बन्ध में
सन्दर्भ:- आपके कार्यालय पत्रांक 823 / सिं0ख0 न0 न0 / आवेदन सं0-211 / 2024 दिनांक 05.05.26
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मूल आवेदन सं0- 211 / 2024 Sanjay Agarwal
versus State of Uttrakhand & Ors. पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के क्रम में इस कार्यालय से श्री
अमरजीत साह एवं श्री अंकित कुमार सहायक अभियन्ता द्वारा आपके कार्यालय के सहायक अभियन्ता
के साथ जनपद टिहरी गढ़वाल के तपोवन डेकन वैली में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था।
उक्त क्षेत्र के निरीक्षण के उपरान्त एवं आपसे वार्ता किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्य के
क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को Consultancy work for Flood Plain Zoning
of Natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (District-Tehri Garhwal) के कार्य हेतु
घनांवटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गई है।
अतः प्रकरण आपको सूचनार्थ प्रेषित है।


(राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल)
अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक:- ज0वि0ख0 / एफ0पी0जेड / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुडकी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद।
4. श्री अमरजीत साह, सहायक अभियन्ता जल विज्ञान शोध इकाई-1 बहादुराबाद।

(राजेन्द्र प्रसाद कुडियाल)
अधिशारी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद (हरिद्वार)

पत्रांक:172/ज0वि0ख0/एफ0पी0जेड0/निविदा सूचना

दिनांक- 15.05.2026

निविदा सूचना सं0-01/ज0वि0ख0/FPZ/2026-27

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित परामर्श कार्य के लिए मोहर बन्द निविदायें राष्ट्रीय स्तर के किसी परामर्श दाता जिसका वाटर रिसोर्स क्षेत्र में काम करने का समुचित अनुभव हो से दिनांक **04.06.2026** को अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपराहन 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी एवं उक्त दिनांक को अवकाश रहने की स्थिति में निविदाएं अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक **18.05.2026** की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक **02.06.2026** की अपराहन 2:00 बजे तक निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने पर रु० 100/- अतिरिक्त जमा करना होगा। डाक में देशी के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा

जॉब संख्या	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि रूपयें	निविदा प्रपत्र मूल्य एवं 18% जी०एस०टी० अतिरिक्त (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Consultancy work for Flood Plain Zoning of Natural drain/stream in Tapovan Decan Valley, Rishikesh (District-Tehri Garhwal)	39000.00	1500+270 =1770.00	60 Days

नियम एवं शर्तें:-

- परामर्श दाता का बाढ मैदान परिक्षेत्रण सम्बन्धी कार्यों को करने का अनुभव अथवा वाटर रिसोर्स सेक्टर में Field Survey, Hydraulics modelling and गणितीय माडलिंग का कार्य का अनुभव अनिवार्य है।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचतपत्र/राष्ट्रीय कृत बैंक की सी०डी०आर०/एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के नाम बंधक होगी, प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जी०एस०टी०/बिक्री कर एवं अन्य कर जो सामान्य दर से देय है, निविदा दाताओं को देना होगा।
- निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरिक्षण करके कार्यस्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग एवं निविदा में दी गयी स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करले अन्यथा इस सम्बन्ध में विभाग का किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- निविदा खुलने के दिनांक से 90 दिवस तक निविदा दरें वैध रहेगी इस आशय का डिक्लेरेशन 100 रु० के स्टाम्प पेपर पर एक रूपये के रसीदी टिकट सहित देना होगा।
- अनुबंध करते समय मानक निविदा प्रपत्र के अनुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमा करना अनिवार्य होगा।
- अनुबन्ध करते समय ठेकेदारों को रु० 100.00 का नॉन जुडीसियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- यह निविदा सूचना कार्य करने की अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में जारी की जा रही है। कोई भी निविदा बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
- सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
- कार्यमद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा तथा विलम्ब होने की दशा में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- अन्य विस्तृत विवरण मानक निविदा प्रपत्र से ली जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता
जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद



LIFE
Lifestyle For
Environment

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : rouppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-107 /2026-27/592-320

दिनांक: 08/05/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
टिहरी गढवाल।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र पत्रांक संख्या 211/जिला गंगा समिति (2025-26) नई टिहरी, दिनांक 06 मई, 2026 तथा पत्रांक संख्या 202/जिला गंगा समिति (2025-26) नई टिहरी, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, तत्कम में उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के पत्र पत्रांक संख्या 1143/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.05.2026 को संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 के संबंध में अवगत कराया जाना है कि संदर्भित नाले के कैचमेंट में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं है तथा उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन स्थापित होने के कारण उक्त स्थान पर स्थापित स्थापनाओं को पृथक से एस0टी0पी0 निर्माण की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त जांच के दौरान जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थान पर स्थापित बहुमंजिला इमारतों द्वारा सीवर लाईन से संयोजन करा लिया गया है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव महोदय, को उनके पत्र पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0-183-773/2026/27 दिनांक 09.04.2026 के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को उनके पत्र संख्या 1143/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा(गंगा)
उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक :- 211 / एन0जी0टी0 / 2026-27

दिनांक:- 14/05/2026

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 20-03-2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 211/जिला गंगा समिति(2025-26), नई टिहरी, दिनांक 06 मई 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे, जिसमें आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में दिनांक 20-03-2026 को पारित आदेश के क्रम में 05 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र सं0 1143/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्र नगर, दिनांक 22 अप्रैल 2026 द्वारा अन्य विभागों के साथ इस शाखा को भी दिनांक 02-05-2026 को प्रातः 11.00 बजे उपरोक्त बिन्दुओं की संयुक्त जाँच किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त के क्रम में शाखा में कार्यरत श्री अशोक सिंह, अपर सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा संयुक्त जाँच किये जाने हेतु प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त जाँच में शाखा से सम्बन्धित बिन्दु सं0 05 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डैक्कन वैली परिसर एवं निकटवर्ती क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन विछी हुयी है, जो कि 3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से जुड़ी हुयी है तथा उक्त क्षेत्र में प्रवाहित कोई नाला/धारा में सीवर प्रवाहित होता हुआ नहीं पाया गया।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(हरीश कुमार बसल)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक(मु0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन नेहरू कालोनी, वैहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पंतद्वीप हरिद्वार।
3. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल।
4. अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता(गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।

अधिशासी अभियन्ता